कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), मीरजापुर

पत्रांक 732 /अधि0/स0सु0/2020 दिनांक 26 जून, 2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकारी प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मीरजापुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है –

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	नरायनपुर–भैसोड़ वाया मीरजापुर एन.एच.–7	नरायनपुर–आमघाट	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा

2	कैलहट–अदलहाट (अ0जि0 मार्ग)	कैलहट–अदलहाट	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
3	जमुई बाजार–अहरौरा रोड वाया इमिलियाचट्टी (अ0जि0 मार्ग)	जमुई बाजार–अहरौरा रोड	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
4	चुनार–राजगढ़ वाया सक्तेशगढ़ (अ0जि0 मार्ग)	चुनार–राजगढ़	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
5	चुनार–कछवां बाजार वाया अदलपुरा (अ0जि0 मार्ग)	चुनार–कछवां बाजार	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
6	चन्द्रिका पड़री दाढ़ीराम मार्ग (अ0जि0 मार्ग)	पड़री–दाढ़ीराम	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
7	नरायनपुर–भैसोड़ वाया मीरजापुर एन.एच.–7	करनपुर–भैसौड़	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
8	लालगंज–कलवारी वाया दीपनगर पटेहरा (अ0जि0 मार्ग)	लालगंज–कलवारी	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
9	लालगंज–देवरी मनिगढ़ा वाया हलिया (अ0जि0 मार्ग)	लालगंज–देवरी मनिगढ़ा	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
10	नैड़ी–गड़बड़ाधाम (अ0जि0 मार्ग)	नैड़ी–गड़बड़ाधाम	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
11	ड्रमण्डगंज–हलिया (अ0जि0 मार्ग)	ड्रमण्डगंज–हलिया	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
12	मीरजापुर–झांसी मार्ग एन.एच.–6	मीरजापुर–पाली (जिगना)	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
13	लालगंज–भारतगंज मार्ग वाया कुशहां अ0जि0मार्ग	लालगंज–रामपुर घाट	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
14	विजयपुर–भारतगंज मार्ग वाया कुशहां अ0जि0 मार्ग	विजयपुर–चितौली	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
15	जिगना–श्रीनिवासधाम वाया हड़गड़ बाजार अ0जि0 मार्ग	जिगना–श्रीनिवासधाम	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
16	मीरजापुर–सोनभद्र एस.एच.–5	बरकछा–सोनवरसा (राजगढ़)	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
17	कोटवां–दीपनगर वाया पटेहरा अ0जि0मार्ग	कोटवां–दीपनगर	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
18	मड़िहान–घोरावल अ0जि0 मार्ग	मड़िहान–कलवारी	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा

19	वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग एस.एस.–5ए	नरायनपुर–अहरौरा	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
20	मीरजापुर–जमालपुर अ0जि0 मार्ग	अदलहाट–जमालपुर	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
21	दुद्धी–लुम्बिनी मार्ग एस.एच.–5	चील्ह तिरहा–टेढ़वा पुलिस चौकी	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
22	मीरजापुर–कछवा बाजार वाया भटौलीघाट अ0जि0 मार्ग	गुरुसण्डी–कछवां	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
23	मीरजापुर–गांपीगंज मार्ग अ0जि0 मार्ग	चील्ह–हनुमान नगर	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
24	बरकछा–झिंगुरामार्ग अ0जि0मार्ग	बरकछा–झिंगुरा	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
25	कछवां–कटका मार्ग अ0जि0 मार्ग	कछवां–कटका मार्ग	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा
26	जी0टी0 रोड एन.एच.–2	कटका गोदाम (फ्लाईओवर)–बाबूसरायं (फ्लाईओवर)	40 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	60 कि0मी0 /घण्टा	50 कि0मी0 /घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा –

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धरा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा –

   अ) अग्नि शमन वाहन।

   ब) एम्बुलेंस।

   स) पुलिस वाहन।

   द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

   य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिए प्रयुक्त वाहन।

3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़क जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), मीरजापुर

पृ0सं0– 732 /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत –

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
4. पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0।
7. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी।
8. संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) मीरजापुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन संबंधी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन संबंधी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), मीरजापुर

26.6.20

5

Mirzapur : वाहन निर्धारित गति से चलायें नही तो देना होगा जुर्माना - एआरटीओ

June 27, 2020 • D.M.A. Digital Desk • राज्य

रिपोर्ट : टी0सी0विश्वकर्मा

मिर्जापुर, (उ0प्र0) : वाहन को निर्धारित गति में न चलाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । नियमानुसार उनसे उनसे अर्थदण्ड वसूलने का कार्य किया जायेगा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रमाकान्त शुक्ल ने बताया कि मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 के तहत मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निबंधन का प्रावधान किया गया है। उसी के तहत नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत के अन्दर पुलिस अधीक्षक व अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने -अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में किसी भी सड़क पर गति पर निबंधन या प्रतिबन्ध लगा सकते है।

जनपद मीरजापुर में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नगर पंचायत क्षेत्रों एवं नगरपालिका क्षेत्र से अलग-अलग मार्गो पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर दी गई है। आदेश का उल्लघंन करने पर वाहन स्वामियों को जुर्माना देना होगा। उन्होने बताया कि नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर गति पर निबंधन करने का कार्य पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

More to read

वाहन निर्धारित गति से चलायें नही तो देना होगा जुमार्ना -एआरटीओ

मिजार्पुर। वाहन को निर्धारित गति में न चलाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । नियमानुसार उनसे उनसे अर्थदण्ड वसूलने का कार्य किया जायेगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रमाकान्त शुक्ल ने बताया कि मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 के तहत मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निबंधन का प्रावधान किया गया है। उसी के तहत नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत के अन्दर पुलिस अधीक्षक व अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने -अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में किसी भी सड़क पर गति पर निबंधन या प्रतिबन्ध लगा सकते है।

वाहन निर्धारित गति से चलायें नहीं तो देना होगा जुर्माना-एआरटीओ

मिर्जापुर। वाहन को निर्धारित गति में न चलाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। नियमानुसार उनसे उनसे अर्थदण्ड वसूलने का कार्य किया जायेगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रमाकान्त शुक्ल ने बताया कि मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 के तहत मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निर्बंधन का प्रावधान किया गया है। उसी के तहत नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत के अन्दर पुलिस अधीक्षक व अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने -अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में किसी भी सड़क पर गति पर निर्बंधन या प्रतिबन्ध लगा सकते है। जनपद मीरजापुर में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नगर पंचायत क्षेत्रों एवं नगर पालिका क्षेत्र से अलग-अलग मार्गों पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर वाहन स्वामियों को जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर गति पर निर्बंधन करने का कार्य पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

निर्धारित गति से वाहन नहीं चलाने वालों पर होगा जुर्माना: एआरटीओ

मिर्जापुर। वाहन को निर्धारित गति में न चलाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर नियमानुसार उनसे अर्थदण्ड वसूला जाएगा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रमाकान्त शुक्ल ने बताया कि मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178 के तहत मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निबंधन का प्रावधान किया गया है। उसी के तहत नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत के अन्दर पुलिस अधीक्षक व अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में किसी भी सड़क पर गति पर निबंधन या प्रतिबन्ध लगा सकते है। मीरजापुर में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नगर पंचायत क्षेत्रों एवं नगरपालिका क्षेत्र से अलग.अलग मार्गो पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर दी गई है।

सदर विधायक को अंतिम नोटिस, आवास करें खाली

अवैध कब्जेदारों में पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाई और जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई का नाम भी शामिल, तीन माह पहले जिला पंचायत ने इन अवैध कब्जेदारों को दिया था नोटिस

चंदों ताल से अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू

एक ही तालाब का नाम बदल कर कई बार कराया भुगतान

बहादुरपुर विकास खण्ड के जलालपुर ग्राम पंचायत का मामला

श्री कृष्णा मिशन हास्पिटल में भी हो रहा आयुष्मान भारत का इलाज

कई ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़े का खुलासा

लखनऊ की सोशल आडिट टीम ने पकड़ा गड़बड़झाला

बिना कार्य हुए कई बार कर दिया लाखों का भुगतान

कागजों में मनरेगा का कार्य दिखाकर निकाल ली मजदूरी, रिकवरी के आदेश जारी

भीड़भाड़ वाले कार्यालयों में स्थापित होगा कोविड हेल्प डेस्कः कमिश्नर

माडल सामुदायिक शौचालय का सीडीओ ने किया निरीक्षण

नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस पर लोगों को किया गया जागरुक

शहीदों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि

लाभार्थियों का आंकड़ा जुटा रहा आईसीडीएस

पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन फिर शुरू

कुपोषित बच्चों का सुचारू रूप से हो सकेगा उपचार

विवक न्यूज

बंधी में डूबने से ग्रामीण की मौत

श्रमिक की इलाज के दौरान गई जान

निराश्रित गोवंश की हो बेहतर देखभालः डीएम

निर्धारित गति से वाहन नहीं चलाने वालों पर होगा जुर्मानाः एआरटीओ

यूनियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र शुरू